

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राज., जयपुर

क्रमांक : एफ.4(ई)(एस-3185/2013)/अलेसे-III/5570

दिनांक :- 17.06.13

कार्यालय आदेश

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कार्मिक की कॉलम 04 में अंकित आदेशों की प्रतीक्षा अवधि को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7(8)(बी)(III) के अन्तर्गत नियमित करते हुए निम्नानुसार कॉलम 04 एवं 05 में अंकित अवधि के वेतन आहरण की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	लिंक नं.	नाम/पदनाम	अवधि		विभाग/कार्यालय जहाँ से वेतन भुगतान किया जाना है:-
			आदेशों की प्रतीक्षा अवधि	कर्तव्य अवधि (एपीओ अवधि के पूर्व/पश्चातवर्ती राजपत्रित अवकाश की अवधि)	
1	2	3	4	5	6
1	12433	श्री सुनील रावत, क0 लेखाकार	दिनांक 01.10.19 से दिनांक 04.10.19	दिनांक 05.10.19 से दिनांक 06.10.19	आयुक्त, कृषि विभाग, पंत कृषि भवन, जयपुर।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक : एफ.4(ई)(एस-3185/2013)/अलेसे-III/5570

दिनांक :- 17.06.20

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अति. आयुक्त (प्रथम), ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (अनुभाग-3, महात्मा गांधी नरेंगा), जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित का अंतिम भुगतान प्रमाण पत्र एवं निजी पत्रावली इत्यादि आयुक्त, कृषि विभाग, पंत कृषि भवन, जयपुर को प्रेषित करवाने का श्रम करावें।
2. आयुक्त, कृषि विभाग, पंत कृषि भवन, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कार्मिक के वेतन भुगतान की व्यवस्था करवाते हुए सेवा पुस्तिका में इन्द्राज करवाने की व्यवस्था करावें।
3. श्री सुनील रावत, क0 लेखाकार, कार्यालय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (अनुभाग-3, महात्मा गांधी नरेंगा), जयपुर।
4. अतिरिक्त निजी सचिव निदेशक महोदय।
5. उप निदेशक(एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/गोपनीय शाखा।

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)